

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

क्रमांक : एफ 9-7/2019/नियम/चार, राज्य शासन अधिसूचना प्रसारण के दिनांक से मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण मण्डल का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग अध्यक्ष
  2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य
  3. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग सदस्य
  4. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सदस्य
  5. श्री अंबिका प्रसाद रावत, प्रान्ताध्यक्ष, म.प्र. पेंशनर्स एसोसियेशन, भोपाल 6/3 अंजली काम्पलेक्स, भोपाल सदस्य
  6. श्री सुधीर दुबे, महामंत्री पेंशनर्स एसोसियेशन, म.प्र. वार्ड नं. 17 गंजबासोदा, जिला विदिशा सदस्य
  7. श्री गणेश दत्त जोशी, पेंशनर्स एसोसियेशन, म.प्र. जे. एच. 11 ब्लॉक नं. 13 सहयाद्री परिसर भदभदा रोड, भोपाल सदस्य
  8. श्री राजकुमार दुबे, प्रांतीय महामंत्री, म.प्र. पेंशनर्स एसोसियेशन भोपाल, 1901 पुरवा गढ़ा जबलपुर जिला जबलपुर सदस्य
  9. श्री वीरेन्द्र खोंगल, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय विन्ध्याचल भवन (बेसमेंट) राज्य मंत्रालय, वल्लभ भवन के पास भोपाल । सदस्य
  10. श्री ओमप्रकाश बुधोलिया, प्रान्ताध्यक्ष म.प्र. पेंशनर्स एसोसियेशन भोपाल, एल.आई.जी. 242 कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल । सदस्य
  11. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. भोपाल संयोजक
- 2/ पेंशनर कल्याण मंडल का कार्यालय, पेंशन संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल होगा ।
- 3/ पेंशनर कल्याण मंडल का कार्य पेंशनरों की समस्याओं पर सतत विचार कर राज्य शासन को सलाह देना, प्रक्रिया संबंधी विसंगतियों एवं कठिनाईयों को शासन की जानकारी में लाना और उनके निवारण के उपाय एवं साधन सुझाना है ।
- 4/ मण्डल के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा । सदस्य के त्यागपत्र देने पर अथवा किसी भी कारण से मण्डल का कार्य संपादन करने में असमर्थ /अपात्र होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी ।
- 5/ समिति के सदस्यों का यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6-1-84/नि-2/चार, दिनांक 8-10-84 के अनुसार विनियमित होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 9-7/2019/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल ।
7. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल ।
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
11. संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
12. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
14. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग